सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना

Content

Time: 90 min

1. निर्देश कमेटी माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 26.01.2017
2. ब्लैक स्पॉटस् को बनने से रोकने व ब्लैक स्पॉटस् के सही निर्धारण के क्रम में, क्रमांक 57136 दिनांक 18.12.2017
3. राजमार्ग गश्ती दल (हाईवे पेट्रोलिंग पार्टियों) का नियोजन, कर्तव्य एवं पर्यवेक्षण, क्रमांक 687 दिनांक 04.04.2014
4. परिपत्र क्रमांक 601–653 दिनांक 28.04.2001
5. खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले चालको के लाईसेंस रद्द (निरस्त) करवाने के संबंध में परिपत्र क्रमांक 957–1019 दिनांक 29.02.2016
6. सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में, क्रमांक 5070 दिनांक 02.09.2016
7. आमजन को दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु प्रेरित करना, क्रमांक 2081 दिनांक 19.05.2015

SUPREME COURT COMMITTEE ON ROAD SAFETY

Chairman : Justice K.S. Radhakrishnan
Members : S. Sundar
Dr. Nishi Mittal

Secretary : S.D. Banga
Tel. No.: +91-11-23060597
Email : roadsafetysc@gmail.con

No.46/CoRS/2014- Vol-II

Dated: 26th May, 2017.

To

Shri Shailendra Agarwal, IAS
Principal Secretary and
Transport Commissioner,
Government of Rajasthan,
Jaipur
Email : transportjaipur14@gmail.com

Sub: **Committee on Road Safety- Meeting held on 12th May, 2017 – reg**

Sir

The measures taken by you were discussed by the Committee with the State officials in detail in a meeting held on 12th May, 2017.

3. After detailed discussions, the Committee made the following observations and issued following directions to the State:

i. The Committee observed that fatalities in the State decreased marginally in 2016 by about 0.4% over 2015 and by about 0.65% in the quarter January – March, 2017 over the corresponding quarter of 2016 and expressed its hope that the declining trend in fatalities will continue. The Committee noted the 'Accident Research Study' Report by JP Research India Private Ltd and observed that the study though limited to Jaipur East district, does not identify all sensitive road segments in the district which require special attention of engineering wing of the concerned road owing agencies or of enforcement agencies. It does not make recommendations on the specific steps to be taken by different wings of the State on certain road segments which should have been identified in the study report. The Committee concluded that the analysis of the accident data is inappropriate. The Committee expressed its concern at the high level of fatalities in the State and directed that the State should analyze the reasons for high levels of road

→

(शासित प्रति)

310

accidents and fatalities in the State and take specific measures to bring about a reduction in fatalities of at least 10 % in 2017.

ii. The Committee noted that the State has notified its Road Safety Policy in March, 2017 and directed the State to begin implementation of the Policy.

iii The Committee noted that the State Road Safety Council met twice in 2016 and expressed the hope that the Council will continue to meet at least twice a year

iv. The Committee noted that the State has constituted a Lead Agency under a Deputy Transport Commissioner with staff working on full time basis.

v The Committee noted the Dedicated Road Safety Fund Regulations, 2017 notified by the State on 3rd April, 2017 and observed that there is no clarity whether the Dedicated Road Safety Fund is lapse-able or non-lapse-able. The Committee directed that the State should ensure that the Dedicated Road Safety Fund is a non lapse-able Fund as desired by the Committee vide its letter No. 16/2016/ CoRS dated 24th November, 2016 (Copy at **Annexure I**).

vi. The Committee noted that the State submitted separate Action Plans prepared by different Departments like Police, Health, PWD, PWD (NH), Urban Development, Local Self Government and RIDCOR and not an integrated Action Plan for the State of Rajasthan. The Committee desired that the State should prepare an integrated Action Plan for the State setting out year wise targets till 2020, the resources required, human and financial, to achieve those targets and the strategy the State proposes to adopt to achieve those targets. A copy of the Action Plan should be sent to the Committee.

vii The Committee noted that all road owning agencies in the State have finalized and issued the Protocol for Black Spots and desired that all road owning agencies in the State should now follow the Protocol finalized by them.

viii a) The Committee noted that 624 out of 892 black spots identified in 2016 in the State by nine State agencies, NHAI and MoRTH (PIU) have been rectified and directed that the Lead Agency should monitor these 624 black spots for one year and assess the efficacy of rectification measures taken by concerned agencies and submit a report to the Committee.

b) The Committee desired that the status of rectification of the remaining 268 black spots should be sent to the Committee.

c) The Committee noted that the Police Department have identified 963 black spots in 2017 and desired that the concerned agencies should take further action as per their Protocol for Black Spots.

ix The Committee directed that a copy of the orders issued by the road owning agencies regarding road safety audit should be sent to the Committee.

x. The Committee noted that its directions dated 18.08.2016 and 17.11.2016 regarding suspension of driving licenses for specified traffic violations are not being

→

strictly implemented. The Committee noted that the State has taken action for suspension of licenses in only about 8.4% cases (9.7 thousand cases recommended for suspensions out of 115 thousand traffic violations detected in first quarter of 2017) and directed the State to strictly implement its directions dated 18.08.2016 and 17.11.2016.

The Committee noted that wearing of helmet was made compulsory for both the two wheeler rider and its pillion rider in October, 2015. The Committee directed the State to strictly implement the Committee's directions.

xii. The Committee noted that on account of low fee prescribed in the Central Motor Vehicle Rules, setting up of automated driving tracks are economically not viable and that the State Government has decided to set up 12 automated driving tracks in 12 RTO offices located in district headquarters from its own funds. The remaining 21 district headquarters will be covered later. The Committee directed the State to fix a timelines for completion of the 12 automated driving tracks and intimate the Committee. The setting up of 12 automated driving tracks should also be included in the Action Plan of the State for 2017 – 18.

xiii. The Committee directed the State to implement its directions dated 11.04.2017 regarding fitment of speed governors in certain categories of existing transport vehicles.

xiv. The Committee noted the action taken by the State for implementing its directions dated 20.03.2017 regarding detention of vehicles not covered by third party insurance and directed that the State should send the quarterly reports on the action taken in the prescribed proforma.

xv. The Committee noted the action taken by the State regarding emergency trauma care and directed the State to indicate what the State proposes to do in 2017-18 for strengthening the emergency trauma care facilities and services.

2. You are requested to kindly take action as advised above and forward a comprehensive compliance report to the Committee in respect of all the directions **by 31st July, 2017.**

Yours faithfully,

(S.D. Banga)
Secretary to the Committee

Enclosures: As Above.

→

Police Headquarters (Traffic)

291
432

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांक प.10 (698) परि/स.सु./2015/पार्ट VI B/ 57136 दिनांक 19/12/17

5195
19/12/17

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव,नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव,सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (एन.एच.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी,एन.एच.ए.आई. राजस्थान, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक,आर.एस.आर.डी.सी.सी., जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,रिडकोर, जयपुर।
9. क्षेत्रीय अधिकारी,सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, डी.सी.एम., अजमेर रोड, जयपुर।

विषय :– ब्लैक स्पॉटस् को बनने से रोकने व ब्लैक स्पॉटस् के सही निर्धारण के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ब्लैक स्पॉट्स परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्ष में 500 मीटर तक की दूरी के क्षेत्र में 5 प्राण घातक/गंभीर किस्म की चोट वाली सड़क दुर्घटनायें घटित हुई हों या 10 मौतें हुई हो ब्लैक स्पॉट्स परिभाषा में समाहित होती है।

पुलिस विभाग की वर्ष 2016 की सूची के अनुसार राज्य में 892 ब्लैक स्पॉट है व वर्ष 2017 की सूची के अनुसार 963 ब्लैक स्पॉट है सड़क को ब्लैक स्पॉट बनने से रोकने व ब्लैक स्पॉट निर्धारण की समुचितता में निम्न निर्देश दिये जाते है :–

1. प्राण घातक/गंभीर किस्म की चोट वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं में सम्बन्धित थाना प्रभारी अधिकारी व सम्बन्धित रोड ओनिंग ऐजेन्सी के अभियन्ता के साथ जॉच करेगें। यह कोशिश की जावे की उक्त जॉच संयुक्त रूप से होवे।
2. यदि जॉच में सड़क डिजाईन में कमी/रोड फर्नीचर की कमी नही पाई जाने पर सम्बन्धित थाना अधिकारी उक्त दुर्घटना स्थल को ब्लैक स्पॉट के निर्धारण की गणना में शामिल नही करे।
3. यदि जॉच में सड़क डिजाईन में कमी/रोड फर्नीचर की कमी पाई जाने पर सम्बन्धित थाना अधिकारी उक्त दुर्घटना स्थल को ब्लैक स्पॉट के निर्धारण की गणना में शामिल करे व सम्बन्धित रोड एजेन्सी अभियन्ता द्वारा तुरन्त सड़क सुधार की कार्यवाही सम्पादित करावे।

अतः उपरोक्त निर्देशित बिन्दुओं की पालना से राज्य में ब्लैक स्पॉट बनने की सम्भावना नगण्य हो जावेगी।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक प.10 (698) परि/स.सु./2015/पार्ट VI B/ 57137 दिनांक 19/12/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ राजस्थान।

उप परिवहन आयुक्त (स.सु.)

C 116

प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2017 को ब्लेक स्पॉट एवं सड़कों पर सुरक्षा से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा करने हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 06.09.2017 को प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ब्लेक स्पॉट एवं सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों (उपस्थिति विवरण संलग्न) द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. ब्लेक स्पॉट निवारण हेतु सम्बन्धित रोड ओनिंग/मैनेजिंग एजेन्सी के सहायक अभियन्ता से अनिम्न स्तर का अधिकारी, क्षेत्र का वृताधिकारी पुलिस तथा सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा ब्लेक स्पॉट का निरीक्षण तय समय सारणी के अनुसार निश्चित दिनांक को किया जावेगा।
2. पुलिस विभाग (यातायात) द्वारा ब्लेक स्पॉट का नाम एवं सम्बन्धित वृताधिकारी का नाम (मोबाइल नं. सहित) की सूची सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग तथा सम्बन्धित रोड ओनिंग/मैनेजिंग एजेन्सीज को 2 दिवस में उपलब्ध करायी जावेगी।
3. रोड ओनिंग/मैनेजिंग एजेन्सीज द्वारा पुलिस विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार ब्लेक स्पॉट जिस क्षेत्र में स्थित है, से सम्बन्धित अभियन्ता के नाम एवं मोबाइल नं. की सूची सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग को उपलब्ध करायी जावेगी।
4. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग उपरोक्त ब्लेक स्पॉट का नाम एवं सम्बन्धित एस.एच.ओ. (मोबाइल नं. सहित), सम्बन्धित अभियन्ता के नाम एवं मोबाइल नं. एवं सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी का नाम मोबाइल नं. सहित संयुक्त निरीक्षण हेतु समय सारणी बनाकर सम्बन्धित एस.एच.ओ., रोड ओनिंग/मैनेजिंग एजेन्सीज, जिला परिवहन अधिकारी को संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रेषित की जावेगी।
5. उक्त समिति द्वारा अपनी संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 15.10.2017 तक सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावेगी।
6. संयुक्त निरीक्षण निम्न प्रकार करेगें :–
   1) निरीक्षण में तीनों अधिकारी संयुक्त रूप से ब्लेक स्पॉट पर जावेगें।
   2) वृताधिकारी, पुलिस विभाग सम्बन्धित दुर्घटना को एफ.आई.आर. मौके पर साथ लेकर जावेगें।
   3) सम्बन्धित रोड ओनिंग/मैनेजिंग एजेन्सीज के अभियन्ता ब्लेक स्पॉट सूची में वर्णित पुलिस विभाग द्वारा दिये गये सुझाव का अन्वेषण कर तकनीकी दृष्टिकोण से ब्लेक स्पॉट निवारण की उचित कार्यवाही प्रस्तावित करेगें।
   4) तीनों अधिकारी सम्बन्धित ब्लेक स्पॉट पर टीम की संयुक्त फोटो व ब्लेक स्पॉट की फोटो पृथक से खींचकर रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगें।
   5) टीम द्वारा सम्बन्धित एफ.आई.आर. को देखकर यह निर्णय किया जावेगा कि उक्त ब्लेक स्पॉट MoRTH द्वारा दी गयी ब्लेक स्पॉट की परिभाषा (3 वर्ष के अन्दर 500 मीटर सड़क क्षेत्र में दुर्घटना से 10 मौत या 5 गम्भीर प्राणघातक/गम्भीर चोटिल दुर्घटनाएं) के अनुसार है अथवा नही। यदि उक्त ब्लेक स्पॉट MoRTH परिभाषा के अनुसार नही है तो उक्त स्पॉट को Vulnerable एक्सीडेंट स्पॉट के नाम से वर्णित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।
   6) ब्लेक स्पॉट निवारण का फॉरमेट व टाइम टेबल का निर्धारण सड़क

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांक प. [illegible] (693) भई / स.सु. / 2015 / पार्ट VI 8 / [illegible] दिनांक [illegible]

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान, जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता (एन.एच.), सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर।
6. मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी एन.एच.ए.आई. राजस्थान जयपुर
7. प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.सी. जयपुर
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिडकार जयपुर
9. क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय [illegible]

विषय :- ब्लैक स्पॉटस् को बनने से रोकने व ब्लैक स्पॉट्स् के सही निर्धारण के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ब्लैक स्पॉट्स परिभाषा के अनुसार [illegible] वर्ष में 500 मीटर तक की दूरी के क्षेत्र में 5 प्राण घातक / गंभीर [illegible] सड़क दुर्घटनायें घटित हुई हों या 10 मौतें हुई हों [illegible] परिभाषा में शामिल [illegible]

[illegible] विभाग की वर्ष 2016 की सूची के अनुसार राज्य में 693 [illegible] वर्ष 2017 की सूची के अनुसार 963 ब्लैक स्पॉट [illegible] निर्धारण को [illegible] में निम्न निर्देश दिये जाते हैं

1. प्राण घातक, गंभीर [illegible] सड़क दुर्घटनाओं [illegible] थाना प्रभारी अधिकारी [illegible] जांच करें। यह कोशिश की जावे की [illegible]
2. यदि जाँच में सड़क डिजाईन में कमी / रोड इंजीनियर की कमी नहीं पाई [illegible] पर सम्बन्धित थाना अधिकारी उक्त दुर्घटना स्थल को ब्लैक स्पॉट के निर्धारण की गणना में शामिल नहीं करें
3. यदि जाँच में सड़क डिजाईन में कमी / रोड इंजीनियर की कमी [illegible] सम्बन्धित थाना अधिकारी उक्त दुर्घटना स्थल को ब्लैक स्पॉट के निर्धारण की गणना में शामिल करें व सम्बन्धित रोड एजेन्सी अभियन्ता द्वारा [illegible] सुधार की कार्यवाहीं सम्पादित करावें।

अतः उपरोक्त निर्देशित बिन्दुओं की पालना से राज्य में ब्लैक स्पॉट [illegible] [illegible] हो सकेगी।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक [illegible] (693) भई / स.सु. / 2015 / [illegible] दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

[illegible]

उप परिवहन आयुक्त (स.सु.)

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः—य—2 (2) पु0 / याता0 / 2014 / 687 — दिनांकः—04—04—2014

स्थाई आदेश क्रमांक 07 / 2014

विषयः— राजमार्ग गश्ती दल (हाईवे पेट्रोलिंग पार्टियों) का नियोजन, कर्तव्य एवं पर्यवेक्षण।

राज्य के विभिन्न जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो / राज्य राजमार्गो में नियोजित राजमार्ग गश्ती दल (हाईवे पेट्रोलिंग पार्टीज) द्वारा किये जाने वाले कार्यो के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों के अधिक्रमण (Supersession) में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है।

पेट्रोलिंग पार्टी का कार्य उनके क्षेत्राधिकार की बीट में अपराधों की रोकथाम एवं सड़क मार्गो का प्रयोग करने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना एवं यातायात अवरूद्व हो जाने की स्थिति में यातायात को तुरन्त पुनः चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

सामान्यतः राजमार्ग गश्ती दलों द्वारा वाहनों की मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत चैकिंग का कार्य नही किया जावेगा परन्तु आवश्यकता पड़ने पर संबंधित वृताधिकारी के डायरेक्ट सुपरवीजन में ही उक्त चैकिंग की जा सकेगी। ओवरस्पीडिंग एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्व संबंधित थानाधिकारी के सुपरवीजन में भी चैकिंग की जा सकेगी, परन्तु यह चैकिग ब्रेथ अलकोहल एनालाईजर एवं स्पीड़ रडार गन के साथ ही की जावेगी।

राजमार्ग गश्ती दलों की बीट, गठन, उपकरण एवं आवश्यक सूचनाऐं

1. गश्ती दलों का कार्यक्षेत्र (बीट) पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (यातायात) की अनुमति से निर्धारित / पुनः निर्धारित किया जावेगा। इसी प्रकार प्रत्येक गश्ती दल का उनके कार्यक्षेत्र में एक पुलिस थाने को चिन्हित किया जाकर मुख्यालय निर्धारित किया जावेगा।
2. उक्त मोबाईल वाहनों में गश्ती दल के प्रभारी अपने लिये निर्धारित बीट क्षेत्र में दुर्घटना एवं अपराध नियंत्रण हेतु जिम्मेदार अधिकारी होगें। प्रत्येक गश्ती दल के वाहन में दो पारियों में गश्तीदल के अधिकारी एवं पुलिस बल कार्य करेगें। प्रत्येक पारी में एक उप निरीक्षक / सहायक उप निरीक्षक प्रभारी अधिकारी होगा, जिनके साथ चार पुलिस कानि0 होगें जो ड्यूटी के दौरान वर्किंग यूनीफार्म में रहेंगे एवं पहचान–पत्र भी साथ रखेंगे। उक्त में से प्रभारी अधिकारी एवं दो पुलिस कानिस्टेबिल हथियारबंद रहेंगे। उक्त दल को रात्रि में ड्यूटी के दौरान पहनने हेतु रिफ्लेक्टिंग जैकेट्स उपलब्ध करायी जायेगी।

3. हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों पर रिवोल्विंग लाईट मय स्टैण्ड तथा सायरन/पी. ए. सिस्टम लगाया जाये तथा 'पुलिस हाईवे मोबाईल पेट्रोल' लिखाया जाये।
4. प्रत्येक हाईवे गश्ती दल को एक स्थाई सी.यू.जी. (सिम मोबाईल) नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा जो उस वाहन के प्रभारी अधिकारी के पास मौजूद होगा। प्रभारी अधिकारियों की ड्यूटी बदलने पर भी उक्त नम्बर नही बदला जायेगा। अतः यह सी.यू.जी. नम्बर उक्त गश्ती दल के सम्बन्धित प्रभारी के पास स्थाई रूप से मौजूद रहेगा।
5. प्रभारी गश्ती दल ड्यूटी के दौरान अपने साथ जिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के टेलीफोन नम्बरों की सूची, बीट क्षेत्र में ट्रोगा एवं अन्य हॉस्पीटलों की लोकेशन एवं टेलीफोन नम्बरों की सूची, बीट के पुलिस थाने, पुलिस सहायता केन्द्र, पेट्रोल पम्प, होटल ढाबा, मेड़िकल स्टोर्स एवं वे साईड़ फेसिलीटीज की लोकेशन व टेलिफोन नम्बरों की सूची, बीट क्षेत्र में उपलब्ध एम्बूलैंस एवं क्रेन के बारे में जानकारी एवं टेलीफोन नम्बरों की सूची, बीट क्षेत्र में नेशनल हाईवे ऑथरिटी के ऑफिस एवं अधिकारियों के सम्पर्क सूत्र एवं टेलीफोन नम्बरों की सूची अपने साथ में रखेगें।
6. प्रत्येक प्रभारी गश्ती दल अपनी सम्पूर्ण बीट क्षेत्र का एक नक्शा तैयार कराकर साथ रखेंगे जिसमें बीट क्षेत्र में हाईवे से निकलने वाले सभी मार्ग तथा क्षेत्र मे स्थित गॉव व विशेष स्थान दर्शायें जायेंगे।

राजमार्ग गश्ती दलों के कर्तव्य

(अ) अपराध नियंत्रण

उच्च मार्गो पर यात्री वाहन, लोडिंग वाहनों इत्यादि में लूट–डकैती जैसी वारदात, छोटे वाहनों जीप, कार आदि की चोरी करने, ड्राईवर की हत्या कर फेंके जाने, शराब की तस्करी, लोडिंग वाहनों में सवारी की बजाय बदमाशों के समूह के रूप में राजमार्गो पर अपराध करना, पहाड़ी एवं आदिवासी इलाके से गुजरने वाले राजमार्गो पर रात्रि में रोड़ पर आकर वाहन रूकवाकर वारदात करना आदि प्रमुख अपराध घटित होते है। राजमार्गो पर अपराध नियंत्रण हेतु हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी: --

1. हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी को किसी भी घटना की सूचना मिलने पर अविलम्ब घटनास्थल पर पहुॅचकर तुरन्त घटना की कार्रवाई करेगी तथा प्रारम्भिक जॉच भी शुरू करेगें। घटना संबंधी सूचना संबंधित थाना एवं उच्च पुलिस अधिकारियों को अविलम्ब जरिये वायरलेस प्रेषित करेगी।
2. अधिकारियों के मौके पर पहुंचने तक घटनास्थल को सुरक्षित रखवाकर मौके की कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।
3. अपराधियों की पहचान एवं उनके पकड़ने के लिए अग्रिम कार्रवाई करेगी। संभावित रास्तों पर नाकाबन्दी हेतु संबंधित थानों को सूचित करेगी एवं स्वयं भी तलाश जारी रखेंगी।
4. हाईवे होटलों, ढाबों पर संदिग्ध व्यक्ति अथवा वाहन, वस्तु पाये जाने पर तत्काल संबंधित व्यक्तियो से पूछताछ करेगें, स्थानीय थानाधिकारी को सूचित करेगी और अधिकारियों के मौके पर पहुंचने तक संदिग्ध व्यक्तियों व संदिग्ध वस्तु की कडी निगरानी करेंगे।

5. राजमार्गो पर रास्ते में सुनसान इलाके में कोई वाहन अथवा संदिग्ध व्यक्ति खड़ा होने पर उनसे पूछताछ कर संबंधित थानाधिकारी को सूचित कर कार्यवाई करवायेंगे।
6. वाहनों के साथ लूट–पाट एवं अन्य अपराधिक घटना वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर उन स्थानों पर विशेष निगरानी रखेंगे।
7. कन्ट्रोल रूम/संबंधित थानाधिकारियों/उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश देने पर नाकाबंदी करेगें तथा अपराधियों को पकड़ने में सहयोग करेगें।
8. प्रभारी अपने लिए निर्धारित बीट क्षेत्र में अपराध नियंत्रण हेतु जिम्मेदार होगा।

(ब) यातायात नियन्त्रण एवं सड़क सुरक्षा

1. सड़क दुर्घटना हो जाने की स्थिति में घायल व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु नजदीकी चिकित्सालय तक पहुँचायेगें तथा आवश्यकता होने पर एम्बूलेंस को बुलवाने का प्रबन्ध करेंगें एवं उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगें।
2. घटना स्थल से घायलों को तुरन्त अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करेगें।
3. दुर्घटना स्थल को अनुसंधान कार्य हेतु सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेगें एवं संबंधित थाने/कन्ट्रोल रूम को दुर्घटना की तुरन्त सूचना देगें। दुर्घटना में लिप्त वाहन एवं व्यक्तियों को अनुसंधान हेतु रोकेगें तथा यदि वे भाग रहे है तो उनका पीछा करेंगे तथा वायरलैस/मोबाईल से आगे आने वाले थानों को सूचित करेगें।
4. सड़क पर किसी वाहन के खराब हो जाने अथवा दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से मार्ग अवरूद्व हो जाता है तो संबंधित पेट्रोलिंग पार्टी पुलिस विभाग/परिवहन विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा प्राईवेट क्रेनो द्वारा वाहन को हटवाया जाकर अवरूद्व मार्ग को तुरन्त खुलवायेगें।
5. पेट्रोलिंग वाहनों में बड़े रिफलेक्टर, रस्सी व कोन भी रखे जावें जो आवश्यकता पर हाईवे पर खड़े खराब वाहन पर लगाये जा सकें।
6. गश्ती मार्ग में दुर्घटना संभाव्य क्षेत्रों का अध्ययन कर दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करेंगे एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सुझाव देंगे।
7. यात्री वाहनों की छतों पर सवारियाँ बिठाकर चलने वाले वाहन चालकों के विरूद्व कानूनी कार्यवाई करेगे, लेकिन ऐसे वाहनों को पुलिस थाने के सामने ही रोका जायेगा एवं सवारियों को उतरवाकर कानूनी कार्यवाई की जाएगी। यदि इस प्रकार के वाहन मार्ग में मिलें तो उनका सिर्फ चालान किया जाएगा।
8. उच्च मार्गो पर यात्री वाहनों के खराब हो जाने की अवस्था में यात्रियों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने, उनकी हर सम्भव मदद करने एवं ऐसे वाहनों को ठीक करवाने में सहायता उपलब्ध करवायेंगे।
9. गश्त के दौरान उच्च मार्गो पर वाहनों की गलत पार्किंग होकर मार्ग अवरूद्व होने की अवस्था में उन वाहनों को हटवायेगें एवं मार्ग साफ रखेगें।
10. उच्च मार्गो के आस–पास की शिक्षण संस्थाओं में यातायात नियमों की जानकारी देगें।
11. बीट के मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं का अध्ययन कर बेहतर एवं सुरक्षित यातायात संचालन के लिए पुलिस अधीक्षक को सुझाव देंगे।

पर्यवेक्षण

प्रत्येक राजमार्ग गश्ती दल अपने मुख्यालय के थानाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे, जो उनके अनुशासन, उपस्थिति एवं कल्याण के लिए उत्तरदायी होंगे। संबंधित सुपरवाईजरी अधिकारी हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी के नियमित संचालन तथा उनके कार्यो की निगरानी रखेगें। किसी प्रकार की अनियमितता/अनुशासनहीनता पायी जाने पर उच्चाधिकारियों को अवगत करायेगें। थानाधिकारी उक्त वाहन एवं स्टाफ को हाईवे गश्त के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नियोजित नही करेंगे।

प्रत्येक हाईवे पार्टी में एक रोजनामचा आम संधारित होगा, जो उनके वाहन में साथ रहेगा। हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही का इन्द्राज उक्त रोजनामचा आम में नियमित रूप से प्रत्येक पारी के प्रभारी द्वारा किया जायेगा। रोजनामचा आम की गत दिवस की एक प्रति निर्धारित मुख्यालय के थानाधिकारी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को थानाधिकारी द्वारा प्रेषित किया जाये। थानाधिकारी द्वारा रोजनामचा आम का अवलोकन कर अंकित सूचनाओं पर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त हाईवे पार्टियों का नियोजन अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (यातायात) संबंधित रेंज महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के परामर्श से करेंगे। वाहनों की उनकी बीट क्षेत्र में सदैव मौजूदगी को संबंधित पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगें। कोई भी वाहन विषम परिस्थितियों की अवस्था में ही अपनी बीट से हटाया जा सकेगा। यदि कोई वाहन अपनी बीट से 3 दिन से अधिक अवधि के लिए हटाया जाता है तो वाहन हटाने के लिए स्वीकृति अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (यातायात) से ली जाये।

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान एवं पुलिस आयुक्त, जयपुर व जोधपुर।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान एवं पुलिस उपायुक्त, जयपुर व जोधपुर।

4/4/2014

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक–ट्रेफिक(3)पुलिस–प्रशा./2001/601–653 दिनांक 28.04.2001

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एवं अन्य मुख्य सड़क मार्गों पर रात्रि में चलने वाले ट्रैक्टर–ट्रॉली, ऊँट गाड़ी, बैल गाड़ी दिखाई नहीं पड़ते जिससे रात्रि में दुर्घटनाऐं घटित होती रहती है।

इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु परिपत्र क्रमांकः सीबी/समन्धि याता/28/97/1376–1420 दिनांक 11.06.1997 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एवं अन्य मुख्य सड़क मार्गों पर चलने वाले ट्रेक्टर–ट्रॉली, ऊँट गाड़ी, बैल गाड़ी के पीछे रिफ्लेटक्टर लगाये जाना उचित समझा गया हैं।

अतः आप सभी अपने–अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एवं अन्य मुख्य सड़क मार्गों पर चलने वाले ट्रैक्टर–ट्रॉली, ऊँट गाड़ी, बैल गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टर लगाये जाना सुनिश्चित करें। आप द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट दिनांक 20.05.2001 तक भेजें।

–एसडी–
(जी.सी. गुप्ता)
सहायक महानिरीक्षक पुलिस,
(यातायात), राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1–समस्त रेंज उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
2–समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
3–समस्त प्रभारी रेंज मोबाईल, राजस्थान।

–एसडी–
सहायक महानिरीक्षक पुलिस,
(यातायात), राजस्थान, जयपुर।

158

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांकः– द–2(2)पु0याता0/2013/957–1019 दिनांकः–29–02–2016

समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान एवं
पुलिस उपायुक्त, जयपुर व जोधपुर।

विषयः– खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले चालकों के लाईसेंस रद्द (निरस्त) करवाने के संबंध में।

राज्य में आये दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी काफी गंभीर है। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु एक समिति का गठन भी किया हुआ है जिसके द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश दिये जाते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने क्षमता से अधिक भार का परिवहन करना, भार वाहनों में यात्रियों को बैठाकर वाहन चलाना, नशे में, तेजगति से व खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, वाहन चलातें समय मोबाईल फोन पर बात करना तथा ट्रेफिक सिग्नलों का उल्लंघन करना आदि विभिन्न यातायात अपराध करने वाले वाहन चालकों के लाईसेंस कम से कम 3 माह के लिए निलम्बित कराये जाने, वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण देने, आम लोगों को सिनेमा घरों में सड़क सुरक्षा से संबंधित लघु फिल्म दिखाने आदि के बारे में आदेश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों की पालना के लिए इस कार्यालय द्वारा आपको समय प्रति समय निर्देश दिये जाते रहते हैं। आप भी अपने विवेक अनुसार इन निर्देशों का पालन करवाने में प्रयासरत हैं फिर भी आये दिन गंभीर दुर्घटनाऐं निरन्तर हो रही है। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए वास्तविक पहलु को जानकर उस पर अमल करना जरुरी है।

वर्तमान में हो रही गंभीर दुर्घटनाओं में अक्सर वाहन का असंतुलित होकर या डिवाईडर पर चढकर पलटना, आपस में वाहनों का टकराना, खडे वाहन में छोटे वाहन का घुसना इस तरह की घटनाऐं ज्यादा हो रही है जिनमें काफी मात्रा में लोग हताहत हो रहे है। इन दुर्घटनाओं में अन्य विभिन्न कारणों के साथ एक मुख्य कारण स्पष्ट होता है कि वाहन चालक वाहन चलाने में पूर्णतयाः सक्षम नही होते हैं या खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हैं। जब ऊपर वर्णित विभिन्न अपराधों में वाहनों के चालक लाईसेंस निलम्बित कराने की कार्यवाही की जा रही है तो फिर ऐसे असक्षम व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले चालकों को वाहन चलाने से निरुद्ध (अयोग्य) घोषित किया जाना जनहित में बहुत ही जरुरी है।

अतः जो चालक खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं अर्थात जिनसे जनता के लिए न्यूसेंस या खतरा होता है (मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 व केन्द्रीय मोटर

वाहन नियम 1989 के नियम 21 को देखें) तथा जिसके परिणामस्वरुप काफी लोग हताहत होते हैं और इसमें चालक की लापरवाही सिद्ध पाई जाती है। ऐसे चालकों के लाईसेंस जब्त कर उन्हें चालक लाईसेंस धारण करने से निरर्हित (अयोग्य) कराने हेतु परिवहन विभाग को प्रकरण भेजे जावें ताकि गंभीर दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके व बेगुनाह लोगों की जाने बचाई जा सकें। इस क्रम में दुर्घटना होने पर तफतीश में ड्राईवर की गलती पाये जाने पर भी इनके द्वारा खतरनाक व लापरवाही से वाहन चलना ता सिद्ध ही हो जाता है। ऐसे में इनके लाईसेंस भी निलम्बन व केन्सिलेशन की अनुशंषा के साथ ट्रान्सपोर्ट विभाग को निश्चित रुप से भिजवाए जायें ताकि ये लोग आगे भी आमजन व स्वयं के लिए खतरा ना पेश कर सकें।

(प्रदीप कुमार व्यास),
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
यातायात, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः—

1. परिवहन आयुक्त एवं सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निजी सहायक, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर को वास्ते महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर के अवलोकनार्थ।
3. समस्त रेंज प्रभारी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान एवं पुलिस आयुक्त, जयपुर व जोधपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
यातायात, राजस्थान, जयपुर।

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांक : द–2 (2)पुलिस यातायात/2013/5070-5122 दिनांक : 02–09–2016

समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान एवं
पुलिस उपायुक्त, जयपुर व जोधपुर।

विषयः– सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः गाय व अन्य लावारिस जानवर राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग व अन्य सड़कों जिन पर यातायात का काफी आवागमन होता है पर बैठे देखे जा सकते हैं। इन सड़कों के आस–पास वर्षा के कारण हरा चारा अधिक मात्रा में होने के कारण गाय व अन्य लावारिस जानवर सड़कों के आस–पास चारा चरने के पश्चात् गीली मिट्टी होने के कारण सड़क पर ही बैठ जाते हैं। उक्त जानवर दिन के समय तो नजर आ जाते है परन्तु रात्रि के समय नजर नही आते है इस कारण दुर्घटनाएं होती रहती है एवं अत्यधिक संख्या में जन–धन की हानि हो जाती है।

इस सन्दर्भ में निर्देश दिये जाते हैं कि आपके अधिनस्थ थानाधिकारियों को पाबन्द करें कि अपने–अपने क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा के अधिकारियों से सम्पर्क कर पाबन्द करें कि उनके हाईवे पेट्रोलिंग कर्मचारी रात्रि के समय सड़कों पर निरन्तर गश्त करें तथा गश्त के दौरान इस बात पर भी विशेष निगरानी रखें कि सड़क पर कोई जानवर नही बैठे और सड़क पर बैठे हुए जानवरों को दूर भगावें। इसी तरह थानाधिकारीगण सड़क के आस–पास स्थित गांवों में सरपंच/मुखिया से सम्पर्क कर समझाईस करें कि ग्रामवासी अपने जानवरों को लावारिस नही छोड़े और लावारिस जानवरों को नगरपालिका तथा नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा पकड़वाकर गौशाला/कॉजी हाउस में भिजवाये, जिससे सडक दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

(एम० एल० लाठर)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
यातायात, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि : समस्त महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान एवं पुलिस आयुक्त, जयपुर व जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
यातायात, राजस्थान, जयपुर।

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE, RAJASTHAN, JAIPUR

NO. D.2(2)Police-Traffic/2013/ 2081 DATE: 19.05.2015

1. All Range IGPs, Rajasthan and Police Commissioner, Jaipur & Jodhpur.
2. All SPs of District Police and DCPs in Rajasthan.

Subject: Need to build confidence in public for helping road accident victims.

In India, approximately one lac forty thousand people have died and five lacs have been injured in road accidents in the year 2014. In Rajasthan alone, the corresponding figure is more than ten thousand deaths and twenty seven thousand seriously injured.

The requirement of timely interventions at various stages relating to post crash scenario can hardly be over emphasized. In our country, a very important factor is the relative reluctance on the part of public to come forward to help the road crash victims, due to the fear of being getting involved in police cases. Keeping this in mind, the Ministry of Road Transport & Highways had issued a circular on 19.02.2004 **(copy enclosed** for ready reference) to Transport Commissioners and DGPs of all states with regards to the need to build confidence in public for helping road accident victims.

Research shows that a number of accident victims can be saved if they receive immediate medical attention. The Hon'ble Supreme Court in the case of Pt. Parmanand Katara v/s Union of India has also stressed that the victims of road crashes need to be provided medical aid in the first instance, and thereafter the procedural laws could operate. However, due to fear of harassment, people do not always come forward to attend to them.

Following the Supreme Court order in 1989, the Motor Vehicle Act was amended in 1994, to make it mandatory on both the driver/owner of the vehicle to take the accident victim to the nearest doctor, and the doctor to treat the victim without waiting for the police and legal formalities.

The person escorting the injured should under no circumstances be detained in the hospital/police station for interrogation. On the other hand, he should be treated with courtesy.

At times the Police Station/PCR van staff also delay the removal of the injured to the hospital on account of various jurisdictional formalities/photographs etc. It is therefore necessary to reiterate that the injured persons be removed to the hospital without any delay.

A pamphlet on the subject is annexed here with. The same be given wide publicity so that people at large become aware of their duties & rights in discharging their pious and important duty of helping the road accident victims without any apprehension.

Encl.: As above

(Pradeep Kumar Vyas)
Addl. Director General of Police
(Traffic), Rajasthan, Jaipur.

Copy to

1. PS to Home Minister, Govt. of Rajasthan, Jaipur for kind perusal of the Minister.
2. PS to ACS Home, Govt. of Rajasthan, Jaipur for kind perusal of the ACS.
3. PS to the DGP Rajasthan, Jaipur for kind perusal of the DGP.
4. All Addl. DGPs Rajasthan, Jaipur for information and necessary action.

Addl. Director General of Police
(Traffic), Rajasthan, Jaipur.